

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक.क्रमांक-580 / 2009

संस्थित दिनांक-04.11.2009

फाई. क्र.234503000072009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी उकवा,  
आरक्षी केन्द्र-रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1-पंकज पिता मंगलसिंह गौतम, उम्र-22 वर्ष,  
निवासी माता मंदिर के पास उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट

2-निक्की पिता प्रदीप चौकसे, उम्र-20 वर्ष,  
निवासी पानीटोला उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट

3-रविदास पिता प्रेमदास, उम्र-32 वर्ष  
निवासी वार्ड नं. 14, उकवा थाना रूपझर जिला बालाघाट(पूर्व से फरार)

— — — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(दिनांक 29/11/2017 को घोषित)**

**01—** अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 452, 327, 506बी, 34 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 21.10.09 को ग्राम नारीवाड़ी आरक्षी केन्द्र उकवा के अंतर्गत लोकस्थान पर प्रार्थी सुनील को अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर प्रार्थी को उपहति कारित करने की तैयारी से उसकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार किया, प्रार्थी सुनील से शराब देने के लिये मजबूर करने प्रयोजन से प्रार्थी एवं आहत इशान को हाथ-मुक्कों एवं बेल्ट से मार कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभिसंत्रास कारित किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील जायसवाल ने पुलिस चौकी उकवा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 21.10.2009 की रात्रि करीब 10:00 बजे वह दुकान चला रहा था, तभी निक्की चौकसे, पंकज नाई तथा रविदास तीनों मोटर सायकिल हीरोहोण्डा क्रमांक एम. पी.50बी6206 में बैठ कर आये तथा उसकी शराब दुकान के काउन्टर के पास मोटर सायकिल खड़ी करके फ्री में जबरदस्ती शराब पीने को देने कहने लगे। उसने शराब देने से मना किया, तब तीनों एक राय होकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे और शराब दुकान के अंदर घुसकर तोड़-फोड़ करने लगे तथा केश काउन्टर की ओर झपटने पर उसने उन्हें मना किया तो तीनों हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। इशांत चौकसे बीच-बचाव करने आया तो उसे भी निक्की ने बेल्ट से मारपीट किया और पंकज नाई ने दुकान से बॉटल उठाकर उसको मारा, जिसे उसने दाहिने हाथ से रोक लिया। उसे

दाहिने हाथ के अंगूठा में चोट आयी, जिससे खून निकलने लगा। रविदास भी हाथ-मुक्कों से मारपीट कर रहा था तथा हल्ला सुनकर बन्टी चौकसे, गोल्डी चौकसे, विनय शिवहरे वगैरह आ गये, उन्हें आते देखकर तीनों उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटर सायकिल वहीं दुकान के सामने छोड़कर बस्ती की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 89/09 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, निरीक्षण घटनास्थल तथा जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपीगण को को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** प्रकरण में आरोपी रविदास फरार होने से उसके विरुद्ध धारा-299 द.प्र.सं. की कार्यवाही की गई है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 452, 327, 506बी, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 21.10.09 को ग्राम नारीवाड़ी आरक्षी केन्द्र उकवा के अंतर्गत प्रार्थी सुनील को लोकस्थान पर अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी को उपहति कारित करने की तैयारी से उसकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी सुनील से शराब देने के लिये मजबूर करने प्रयोजन से प्रार्थी एवं आहत इशान को हाथ-मुक्कों एवं बेल्ट से मार कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभिसंत्रास कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

**05—** विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**06—** साक्षी ईशान चौकसे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह फरियादी सुनील जैतवार को भी नहीं पहचानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। पुलिस ने उससे केवल हस्ताक्षर कराए थे। जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने

कोई जप्ती नहीं हुई थी।

**07—** साक्षी ईशान चौकसे अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने निक्की उर्फ आदित्य से जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 के अनुसार सामान जप्त किया था, घटनास्थल से उसके सामने पुलिस ने एक मोटर सायकिल जप्त की थी, पंकज से एक खाली शराब की बोतल जप्त की थी, उसके सामने आरोपीगण ने फरियादी सुनील की शराब दुकान में घुसकर तोड़-फोड़ की और उसे गाली-गलौच करते हुए शराब की मांग कर उसे मारपीट किया था। यदि उसके पुलिस कथन प्रपी-04 में उक्त बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस चौकी उकवा में पुलिस के कहने पर कर दिया था तथा पुलिस ने उक्त दस्तावेज उसे पढ़कर नहीं सुनाए थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था।

**08—** साक्षी के0पी0 मिश्रा अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 21.10.2009 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस चौकी उकवा से अपराध 0/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके द्वारा असल अपराध क्रमांक 98/09, धारा-294, 323, 506बी, 327, 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत आरोपी निक्की चौकसे, पंकज नाई, रविदास के विरुद्ध में कायम किया गया था, जो प्रपी-04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.10.2009 को घटनास्थल जाकर प्रार्थी सुनील की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा प्रपी-05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 22.10.2009 को प्रार्थी सुनील, इशांत, विनय शिवहरे के बयान लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही निक्की उर्फ आदित्य से जप्ती पत्रक प्रपी-01 के अनुसार संपत्ति जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.10.2009 को एक मोटर सायकिल गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 22.10.2009 को पंकज गौतम से जप्ती पत्रक प्रपी-03 के अनुसार संपत्ति जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत सुनील और ईशान्त को मुलाहिजा हेतु मुलाहिजा फार्म भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा भिजवाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी पंकज गौतम, निक्की उर्फ आदित्य, रविदास को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-06, 07, 08 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

**09—** साक्षी के0पी0 मिश्रा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसके द्वारा लेख नहीं किया गया था, कायमी के लिये उसके पास में रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर उसने असल कायमी लेख की थी, असल कायमी करने के

समय फरियादी थाने नहीं आया था, उसके द्वारा असल कायम नहीं की गई है, उसके पूर्व में असल कायमी वाली जो बात लिखायी है वह गलत हो गई है किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष फरियादी रिपोर्ट करने के लिये नहीं आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह उक्त समय पर थाना रूपझर में पदस्थ था चौकी में नहीं। साक्षी के अनुसार ड्यूटी के लिये उसे चौकी भेजा गया था, तब उसके द्वारा जीरो पर कायमी की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि असल कायमी करने के पश्चात में उसे कब डायरी प्राप्त हुई थी, इसका उल्लेख अभियोग पत्र में नहीं किया है। साक्षी के अनुसार इसका उल्लेख डायरी में किया जाता है, जो किया गया है। प्रथम सूचना पत्र उसके द्वारा 22:40 बजे लेख लेख की गयी थी अर्थात् 10:40 बजे लेख की गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के पश्चात उसने सर्वप्रथम प्रार्थी के बयान लिये थे या फिर मौका-नक्शा तैयार किया था। उसके द्वारा मुलाहिजा हेतु आहतगण को रिपोर्ट होने के तत्काल बाद भेजा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आहतगण को मुलाहिजा हेतु भेजा गया था, जिसका उसने एम.एल.सी. फार्म में समय का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आहतगण को मुलाहिजा हेतु, रिपोर्ट के दो दिन बाद भेजा था।

**10—** साक्षी के0पी0 मिश्रा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि रिपोर्ट के दिन रात्रि के समय घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार करने नहीं गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रपी-05 का जो मौका-नक्शा तैयार किया गया है, उस पर चिन्हित स्थानों की किसी की भी दूरी दर्ज नहीं की गई है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था और थाने में ही बैठकर नक्शा बना लिया गया था और सुनील जैसवाल एवं विनायक के हस्ताक्षर करवा लिये थे, इसीलिये चिन्हित स्थानों की दूरी दर्ज नहीं की है, मौका-नक्शा थाने में ही बैठकर बना लिया गया था और घटनास्थल पर नहीं गये थे, साक्षियों के हस्ताक्षर चौकी में ही करवा लिये थे, प्रपी-06, 07, 08 में दर्शित अनुसार उसने सम्पत्ति आरोपीगण से जप्त नहीं की थी, उसने आरोपीगण को फंसाने की दृष्टि से झूठा जप्ती पत्रक तैयार किया था, उसने साक्षी सुनील, ईशान्त, विजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न करते हुये अपने मन से लेखबद्ध किये थे, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी, उसने प्रार्थी सुनील के साथ मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उन्हें झूठा फंसाया है।

**11—** साक्षी के0पी0 मिश्रा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि असल अपराध उसके द्वारा कायम नहीं किया गया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी-01 के अनुसार आरोपी निक्की चौकसे से संपत्ति जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, उसने साक्षी सुनील, ईशान्त, विजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न करते हुये अपने मन से लेखबद्ध किये थे, घटनास्थल का



मौका-नक्शा उसने थाने में ही बैठकर तैयार किया था, विनय शिवहरे और ईशांत मौका नक्शा के रात्रि के 11:05 बजे वहां पर उपस्थित नहीं थे, उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपीगण को झूठा फंसाया है।

**12—** साक्षी डॉ० ए०के० गौर अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.10.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डॉ. आर.के. नकरा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आहत इशान्त एवं आहत सुनील का परीक्षण उनके द्वारा किया गया था। परीक्षण में निम्नलिखित चोटें पाई थी, जो उनकी हस्तलिपि में लेखबद्ध है और वह उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर से वह परिचित है, जो प्रपी-09 एवं प्रपी-10 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ० आर.के. नकरा के हस्ताक्षर हैं। मुलाहिजा दस्तावेजों में परीक्षणकर्ता डॉक्टर के द्वारा की गयी। जांच एवं अभिमत के बारे में वह नहीं बता सकता है क्योंकि उनकी हस्तलिपि उसके समझ में नहीं आ रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि डॉ० आर.के. नकरा ने उक्त पीड़ित का परीक्षण किया था अथवा बिना परीक्षण किये ही उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-09 एवं 10 बनाया है। वर्तमान में डॉ० आर.के. नकरा की मृत्यु हो चुकी है।

**13—** साक्षी वैभव चौकसे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है वह उसके गांव के रहने वाले है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 21.01.09 को ग्राम पोण्डी के मण्डई की है, जहां से विक्की चौकसे, पंकज और रविदास तीनों शराब पीकर आये और उकवा बस्ती में कुछ लडकों के साथ वाद-विवाद किया था, उक्त दिनांक को ही अंग्रेजी शराब दुकान तरफ आकर लगभग दस बजे रात्रि की बात है गोल्डी ने उन्हें आकर बताया था, तीनों ने शराब पीकर मारपीट किये थे और हल्ला भी हो रहा था, हल्ला सुनकर वह वहां पर गया था, तब आरोपीगण अपनी मोटर सायकिल हीरो क्रमांक एम.पी५०/जी-6206 छोड़कर भाग गये थे, उसे इशांत और सुनील ने यह बताया था कि तीनों आरोपीगण मोटर साईकिल से आये और फ्री में शराब मांग रहे थे, आरोपीगण को शराब देने से मना करने पर उन्होंने मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देकर शराब की दुकान में घुस गये थे, आरोपीगण द्वारा शराब दुकान में तोड़-फोड़ की गयी थी, आरोपीगण ने शराब की बोतल से मारपीट किये थे, आरोपीगण केस काउण्टर में घुसने के लिए लपक रहे थे, आरोपीगण ने हाथ-मुक्कों से मारपीट किये थे व सुनील व ईशांत को जान से मारपीट करने की धमकी दिये थे, उसने आरोपीगण को भागते हुए देखा था। आरोपी ने उसका कथन प्र.पी११ पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**14—** साक्षी जगदीश गेडाम अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 25.10.09 को पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद

पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 98/09 अंतर्गत धारा-323, 452, 294, 506, 327 भा.दं.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा गवाह वैभव उर्फ बंटी चौकसे तथा सौरभ उर्फ गोल्डी चौकसे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। कथन लेखबद्ध करने के पश्चात संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि उसे किस दिनांक एवं किस समय केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि गवाह वैभव मिश्रा एवं सौरभ चौकसे के कथन अपने मन से लेख कर लिया था। साक्षी के अनुसार उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। वैभव एवं सौरभ द्वारा न्यायालयीन कथन में यह कथन किये गये हो कि उन्होंने पुलिस को चालान में दर्शित कथन नहीं देना व्यक्त किया है, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया कि उसने शराब ठेकेदार सुनील से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया था, आरोपीगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था और उसने अपने मन से कथन अंकित कर आरोपीगण को प्रकरण में झूठा फंसाया है।

**15-** उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है, क्योंकि किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रकरण में आहत/परिवादी सुनील का परीक्षण नहीं कराया गया है, जबकि अन्य आहत इशांत चौकसे अ.सा.01 ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। स्वतंत्र साक्षी वैभव चौकसे अ.सा.04 ने भी घटना की किसी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त किया तथा आहतगण की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.09 तथा प्र.पी.10 के स्पष्ट न होने के कारण आहतगण की चोटों की पुष्टि भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में मात्र विवेचना अधिकारी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है।

**16-** फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी सुनील को अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर प्रार्थी को उपहति कारित करने की तैयारी से उसकी दुकान में प्रवेश कर गृह अतिचार किया, प्रार्थी सुनील से शराब देने के लिये मजबूर करने प्रयोजन से प्रार्थी एवं आहत इशान को हाथ-मुक्कों एवं बेल्ट से मार कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से देकर आपराधिक अभिसंत्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण पंकज एवं निक्की को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 452, 327, 506बी, 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**17-** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में अन्य आरोपी रविदास फरार होने से प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

19— प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निररुद्ध रहे हैं। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)